(14)

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

संख्याः– 5113 / 111(2) / 10–02(मु0मं0घो0) / 2010

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्र सं० 12-1-0/3/1259
फाईल सं० 6 M9
दिनांक 4-10-10

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 — देहरादूनः दिनांकः 23 सितम्बर, 2010

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग हेतु मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रक्रियात्मक कार्यो के सापेक्ष व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र सं0:– कैम्प–1 / यातायात–पर्व0 / 2010 दिनांक 07–08–2010 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये कार्यो हेतु प्रथम चरण, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदें सम्मिलित हैं, के लिये उपलब्ध कराये गये आगणन लागत ₹ 36.34 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 30.60 लाख (रू0 तीस लाख साठ हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में, संलग्न विवरणानुसार प्रत्येक कार्य हेतु ₹ 0.50 लाख अर्थात कुल ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764 / 111(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक ...–05–...06 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान ...0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनांगत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 338/XXVII/(2)/2010 दिनांक: 20 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:– 5113 (1)/III(2)/10–02(मु0मं0घो0)/2010 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद चमोली/देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

पत्रांक– 1259 / 6 M.G. दिनांक 6-10-10

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) को इस आशय से प्रेषित कि स्थलीय निरीक्षण भी करवायें, पश्चात आगणन प्रस्तुत करें।

प्रतिलिपि JE(I) / ... को।

08/10/10
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

Photo copy Attested

6/9/11
सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

(96)

शासनादेश संख्या– 5113 / III(2) / 10–02(मु0मं0घो0) / 2010 दि0 23 सितम्बर, 2010 का संलग्नक

सं0	कार्य का नाम	लम्बाई	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
	2	3	4	5
	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग में पिण्डर नदी पर डेढ़ लेन लौह सेतु का निर्माण (मुख्यमंत्री घोषणा सं0:–439 / 2009)	60 मी0	5.40	0.50
2	जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग से पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण (मुख्यमंत्री घोषणा सं0:–441 / 2009)	2.00 किमी0	25.20	0.50
	योगः–		30.60	1.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता (प्रथम)
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)